

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 500] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 31, 1983/पौष 10, 1905
No. 500] NEW DELHI, SATURDAY, DEC. 31, 1983/PAUSA 10, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1983

अधिमूचना

सं. 302/83-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. 936(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944
के नियम 3 के उपनिर्देश (1) द्वारा गदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत
सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिमूचना सं. 185/83-केंद्रीय

उत्पाद-शुल्क, तारीख 2 जुलाई, 1983 का निम्नलिखित और संशोधन करती है
अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 में, "31 दिसम्बर, 1983" अंकों और शब्दों के
स्थान पर "31 दिसम्बर, 1984" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 93/15/83-के.उ.शू.-3]

राजेंद्र प्रसाद, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 31st December, 1983

NOTIFICATION

No. 302/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 936(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 185/83-Central Excises, dated the 2nd July, 1983, namely :—

In the said notification, in paragraph 2, for the figures, letters and words "31st day of December, 1983", the figures, letters and words "31st day of December, 1984" shall be substituted.

[F. No. 93/15/83-CX.3]

RAJENDRA PRASAD, Under Secy.